



## सं. 1/2/राज./2012-वीएस (सीआरएस)*/1099*

## भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय/ MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय/ OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066

V.S. Division, Civil Registration System, West Block -I, R.K. Puram,

New Delhi-110066

ई-मेल- drg-crs.rgi@nic.in

सेवा सें

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु तथा उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी राजस्थान, योजना भवन, नई हाईकोर्ट बिल्डिंग के पीछे, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर - 302005. दिनांकः 09-11-2021

विषयः विदेश में जन्म लेने वाले दत्तक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में माता-पिता के नाम में सुधार के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या एफ़13/1(3)/31/वीएस/डीईएस/2012/1053 दिनांक 20-10-2021 का संदर्भ लें जिसके माध्यम से एक बच्चे (श्री गुरवीन सिंह) के जन्म प्रमाण पत्र में माता-पिता का नाम बदलने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसका जन्म 13.01.20108 को कनाडा में हुआ था और जिसे 16-04-2021 को भारत में रिश्तेदारों द्वारा गोद लिया गया था। उक्त जन्म प्रमाण पत्र 30.01.2018 को कनाडा में पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण संख्या 2018-08-001609 के माध्यम से जारी किया गया था।

2. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि, चूंकि उक्त जन्म प्रमाण पत्र कनाडा के पंजीकरण अधिकारियों द्वारा प्रचलित अधिनियम और देश के नियमों के तहत जारी किया गया था, इसलिए, उक्त जन्म प्रमाण पत्र को पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आरबीडी अधिनियम, 1969 के तहत भारत में बदला नहीं जा सकता। तथापि, संदर्भित मामले में, गोद लिए गए बच्चों के जन्म रिकॉर्ड में प्रविष्टियां डालने/बदलने के लिए, इस कार्यालय के कार्यालय परिपत्र संख्या 1/7/2011 वीएस(सीआरएस) दिनांक 12.03.2012 के (पैरा 2(i)) और इसके बाद के दिनांक 15.05.2015 के परिपत्र में यथा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, तदनुसार उस क्षेत्र के संबंधित रिजस्ट्रार जहां गोद लिया गया है, वैध दत्तक विलेख और विधिवत भरे हुए जन्म रिपोर्टिंग फॉर्म (फॉर्म 1 ए) के आधार पर भारत में जन्म को पंजीकृत कर सकते हैं तथापि दत्तक माता-पिता के नाम के साथ जन्म प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। उक्त परिपत्रों को इस कार्यालय की वेबसाइट www.crsorgi.gov.in पर देखा जा सकता है।

3. इसके अलावा, संदर्भित मामले में, उक्त घटना को दर्ज करने से पहले, आरबीडी अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के विलंबित पंजीकरण प्रावधान के तहत स्थानीय मजिस्ट्रेट का एक आदेश भी प्राप्त किया जाना चाहिए।

भवदीया,

उप महारजिस्ट्रार







## F.No. 1/2/Raj./2012-VS (CRS)/1097 GOVERNMENT OF INDIA

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, Civil Registration System, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi-110066
E-mail- drg-crs.rgi@nic.in Dated: 02-11-2021

To

The Chief Registrar of Births & Deaths and Director of Economics & Statistics, Rajasthan, Behind New High Court Building, Tilak Marg, C Scheme, JAIPUR - 302 005

Subject: Clarification regarding correction of parent's name in the birth certificate of a adopted child who was born outside India.

Sir,

Please refer your office letter no. F13/1(3)/31/VS/DES/2012/1053 dated 20-10-2021 vide which clarification has been sought regarding change of parent's name in the birth certificate of a child (Mr. Gurvin Singh) who was born on 13-01-2018 at Canada and taken on adoption within relatives in India on 16-04-2021. The said birth certificate was issued by registration authority in Canada vide registration no. 2018-08-001609 on 30-01-2018.

- 2. In this connection, it is to clarify that as the said birth certificate was issued by Registration authorities of Canada under prevailing Act and Rules of the country, therefore, the said birth certificate cannot be changed by the Registration authority under RBD Act, 1969 in India. However, in the referred matter, the procedure for making/changing entries in birth record of children taken on adoption may be followed as prescribed in this office circular no. 1/7/2011 VS (CRS) dated 12-03-2012 (Para 2(i)) and subsequent circular dated 15-05-2015, accordingly the concerned Registrar of the area where the adoption has taken place may register the birth in India on the basis of valid adoption deed and duly filled-in birth reporting form (Form 1A) and issue the birth certificate with the name(s) of adoptive parent(s). The said circulars may be seen at this office website <a href="https://www.crsorgi.gov.in">www.crsorgi.gov.in</a>.
- 3. Further, in the referred matter, an order of local Magistrate under the Delayed registration provision of section 13 (3) of the RBD Act 1969, should also be obtained before registering the said event.

Yours faithfully,

(Sandhya Singh)

Deputy Registrar General

